[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 12th November, 2010]

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT DEPARTMENT

Notice

The 12th November, 2010

No.16/52/2007-3 E.—Whereas the Ministry of Environment and Forests, Government of India, in exercise of the powers conferred by clause (viii) of sub –section (2) of section 3 read with section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), notified the Plastics Manufacture, Sale and Usage Rules, 1999, and amended it vide notification No. S.O 698 (E), dated the 17th June, 2003;

And whereas, article 48-A of the Constitution of India interalia envisages that the State shall endeavour to protect the environment;

And whereas, the Haryana Government after considering the adverse effects of plastic carry bags on the environment and local ecology, felt that plastic carry bags are littered about irresponsibly and have detrimental effect on the environment;

And whereas, it is observed that the plastic carry bags also cause blockage of gutters, sewerage system and drains thereby resulting in serious environmental problems;

And whereas clause (a) of sub rule (3) of the Environment (Protection) Rules, 1986, provides that a person, officer or authority to whom any direction is sought to be issued shall be served with a copy of the proposed direction and shall be given an opportunity of not less than fifteen days from the date of service of a notice to file with the objections, if any, to the issue of the proposed directions.

Now, therefore, in exercise of the powers delegated under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with rule 4 of the Environment (Protection) Rules, 1986, notification S.O.152 (E), dated 10th February, 1988 and in super session of Haryana Government, Environment Department notification no. SO.33/CA29/1986/Ss.3 and 25/ 2010 dated 3 February, 2010, this notice is being issued with the following proposed directions which shall be taken into consideration on or after expiry of period of fifteen days from the date of publication of this notice along with objections, which may be received by the undersigned, from any person with respect to the proposed directions.

Directions:

1. Prohibition/Restriction on manufacture, sale, distribution and use of virgin and recycled plastic carry bags and recycled plastic containers.

(a) No person shall manufacture, stock, distribute, recycle, sell or use carry bags made of virgin or recycled plastic carry bags in the State. Further, in the following areas having special historical, religious and ecological significance, use of all types of plastic articles such as plates, cups, tumblers, spoons, forks and straw shall also be banned:—

(i) Municipal limits of Thanesar/Kurukshetra and Pehowa towns, precincts of Mansa Devi Temple, Panchkula and Sheetla Mata Temple, Gurgaon and Public Parks.

(ii) Wild Life Sanctuaries and National Parks of Haryana; and

(iii) Gram Panchayat, Morni.

(b) No person shall use containers made of recycled plastics for storing, carrying, dispensing or packing of foodstuffs.

(c) Conditions of manufacture of containers made of plastics subject to the provisions of clause (a) above, any person may manufacture containers made of plastics, if the following conditions are satisfied, namely :—

(i) Containers made of virgin plastic shall be in natural shade or white;

(ii) Containers made of recycled plastic and used for purposes other than storing and packing foodstuffs, shall be manufactured using pigments and colourants as per IS: 9833 : 1981 entitled "List of pigments and colourants" for use in plastics in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water.

(d) Recycling - Recycling of plastic except carry bags shall be undertaken strictly in accordance with the Bureau of Indian Standards specification; IS 14534 : 1998 entitled "The Guidelines for Recycling of Plastics".

(e) Marking/Codification - Manufacturers of recycled plastic containers, having printing facilities, shall code/mark containers as per IS 14534: 1998 entitled "The Guidelines for Recycling of Plastics" and the end product made out of recycled plastics shall be marked as "Recycled".

(f) Littering of plastic articles such as plates, cups, tumblers, spoons, forks and straw at public places such as parks, playgrounds, recreational places, tourist centres, religious places etc., shall not be permitted.

2. Prescribed Authority

(a) The Haryana State Pollution Control Board shall be the Prescribed authority for enforcement of the provisions of these directions relating to manufacture and recycling of plastics namely 1 (a), (c),(d),(e) and (f) above.

(b) The Municipal Commissioner/Chief Executive Officer of concerned Municipal Corporation/ Municipality, shall be the prescribed authority for enforcement of the provisions of these directions for the use, collection, segregation, transportation and disposal of plastic carry bags and containers with particular reference to (1) (a), (b) and (f) above.

(c) The Divisional Forest Officer shall be the prescribed authority for enforcement of the provisions of these directions in National Parks, Wild Life Sanctuaries etc. in the State of Haryana.

(d) Further following officers are also made prescribed authority for enforcement of the provisions of these directions in their respective jurisdiction:—

District Magistrate,

Additional District Magistrate,

District Development and Panchayat Officer,

Sub-Divisional Magistrate,

City Magistrate,

Executive Engineer, Public Health Engineering Department,

District Food and Supplies Controller,

District Town Planner, Town and Country Planning Department,

Estate Officer, Haryana Urban Development Authority,

Block Development and Panchayat Officer,

Tehsildar and Naib Tehsildar, Revenue Department,

Scientist-B, Haryana State Pollution Control Board,

Assistant Environmental Engineer, Haryana State Pollution Control Board,

Executive Officer/Secretary, Municipal Council/Committee.

3. **Self Regulation**

(a) Without prejudice to the provisions contained in paras 1 and 2 above, the Plastic Industry Associations, through their member units, shall undertake self-regulatory measures.

(b) Religious worship places, health care centres, hotels/restaurants, educational institutions and other concerned agencies shall ensure strict implementation of the ban on the use of carry bags.

(c) The Municipal Corporations and other concerned agencies shall ensure necessary measures to create wide publicity of the impacts of using plastic carry bags and littering of public places which adversely affect the environment and health of human beings, and also the penalty provisions of these rules, through cinema exhibit slides, electronic/print media etc.

4. **Levy of Penalties**

The following penalties shall be levied by the prescribed authority

(a) The manufacturing units, found to be violating these directions, shall be fined with such fine which shall not be less than Rs. 25,000 and which may extend upto Rs. 50,000 for first offence and the license/consent of the unit shall be cancelled for the subsequent offence in addition to confiscating the machinery/material used for the manufacture.

(b) The retailers, vendors and other establishments found to be violating these directions, shall be fined with such fine which shall not be less than Rs. 2,500 and which may extend upto Rs. 5,000 for the first offence and the trade license of the violator shall be cancelled for the subsequent offence, under relevant municipal laws and Shops and Establishments Act by the municipal authority.

(c) The individuals found using cups, plates, tumblers, plastic carry bags or found littering of plastic carry bags or articles such as cups, plates, tumblers in public places shall be fined with such fine which shall not be less than Rs. 250 and which may extend upto Rs. 500 per offence.

P. RAGHAVENDRA RAO,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government, Haryana, Environment Department.

47893—C.S.—H.G.P., Chd.

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 12th November, 2010]

हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

सूचना

12 नवम्बर, 2010

संख्या 16/52/2007-3 पर्या.—चूंकि, भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), की धारा 25 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (viii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्लास्टिक विनिर्माण, विक्रय तथा उपयोग नियम, 1999 अधिसूचित किए हैं तथा इसे अधिसूचना संख्या का. आ. 698(ई.), दिनांक 17 जून, 2003 द्वारा संशोधित किया है ;

और चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 48-क पर अन्य बातों के साथ विचार किया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास करेगा।

और चूंकि, हरियाणा सरकार ने पर्यावरण तथा स्थानीय परिस्थितिकी पर प्लास्टिक कैरी बैग के प्रतिकूल प्रभावों को विचारने के बाद महसूस किया है कि प्लास्टिक कैरी बैग लापरवाही से बिखेरे जाते हैं तथा इसका पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है ;

और चूंकि, यह अवलोकित किया गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग गटर, सीवरेज प्रणाली तथा नालों के बहाव में रूकावट भी उत्पन्न करते हैं जिससे गम्भीर पर्यावरणीय समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं।

और चूंकि, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के उपनियम (3) का खण्ड (क) उपबन्ध करता है कि व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी जिस को कोई निर्देश जारी किया जाना है, को प्रस्तावित निर्देश की एक प्रति तामिल की जाएगी तथा प्रस्तावित निर्देशों को जारी करने के लिए आक्षेप, यदि कोई हो, दायर करने के लिए नोटिस की तामिल की तिथी से कम से कम 15 दिन का अवसर दिया जायेगा;

इसलिए, अब हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अधिसूचना संख्या का0 आ0 152 (ई) दिनांक 10 फरवरी, 1988, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), की धारा 5 के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का0 आ0 33/के0 अ0 29/1986/धा0 3 तथा 25/2010 दिनांक 3 फरवरी, 2010 के अधिक्रमण में यह नोटिस निम्नलिखित निर्देशों सहित जारी किया जा रहा है। जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति को या इसके बाद आक्षेप जो प्रस्तावित निर्देशों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से निम्न हस्ताक्षरकरता द्वारा प्राप्त किये जाऐं, विचार करेगा।

निर्देश

1. प्रथम बार बनाए गए तथा दुबारा बनाए गए प्लास्टिक कैरी बैगों तथा दुबारा बनाए गए प्लास्टिक डिब्बों के विनिर्माण, विक्रय, वितरण तथा उपयोग का प्रतिबन्ध/निषेध/प्रतिबन्ध;

(क) राज्य में कोई भी व्यक्ति प्रथम बार बनाए गए या दुबारा बनाए गए प्लास्टिक कैरी बैगों का विनिर्माण, भण्डारण, वितरण द्वारा बनाने, विक्रय या उपयोग नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित क्षेत्रों जो विशेष ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पारिस्थितिक महत्व वाले हैं में सभी प्रकार की प्लास्टिक वस्तुओं जैसे प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, कॉंटे तथा स्ट्रा के उपयोग पर भी प्रतिबन्धित होगा:—

(i) थानेसर/कुरूक्षेत्र तथा पेहवा कस्बे की नगरपालिका सीमाओं, मनसा देवी मन्दिर, पंचकूला तथा शीतला माता मन्दिर, गुड़गांव की सीमा तथा सार्वजनिक पार्क।

(ii) हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय पार्क; तथा

(iii) ग्राम पंचायत, मोरनी ।

(ख) कोई भी व्यक्ति खाद्य पदार्थ के भण्डारण, वहन करने या औषध वितरण या पैकिंग करने के लिए दोबारा बनाए गए प्लास्टिक डिब्बों का प्रयोग नहीं करेगा ।

(ग) प्लास्टिक के बनाए गए डिब्बों के विनिर्माण की शर्तें - उपरोक्त खण्ड (क) के उपबन्धों के अध्यधीन कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक के बने डिब्बों का विनिर्माण कर सकता है यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है, अर्थात्:—

(i) प्रथम बार बनाए गए प्लास्टिक के डिब्बे प्राकृतिक रंग के या सफेद होंगे।

(ii) पुनः निर्मित प्लास्टिक के डिब्बों तथा खाद्यपदार्थों के भण्डारण तथा पैकिंग से भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खाद्यपदार्थ, औषधीय तथा पेय जल के स्पर्श में प्लास्टिक के प्रयोग के लिए "रंगद्रव्य तथा रंजक की अधिकृत सूची" आई एसः 9833:1981 के अनुसार रंगद्रव्य तथा रंजक का प्रयोग करते हुए विनिर्मित किए जाएँगे ।

(घ) पुनः निर्माण - कैरी बैगों के सिवाय प्लास्टिक डिब्बों के पुनः निर्माण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो विशिष्ट : आई एस 14534: 1998 के अधिकृत ''प्लास्टिक के पुनः निर्माण के लिए मार्गदर्शन'' के अनुसार पूर्ण रूप से वचन देना होगा।

(ङ) मार्किंग/वर्गीकरण - मुद्रण सुविधाओं वाले पुनः निर्मित प्लास्टिक डिब्बों पर आई एस : 14534 : 1998 के अधिकृत ''प्लास्टिक के पुनः निर्माण हेतु मार्गदर्शन'' के अनुसार संकेत/चिन्ह लगाएंगे तथा पुनः निर्मित प्लास्टिक से बनाए गए अन्तिम उत्पादन को ''रीसाईकल्ड'' के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

(च) प्लास्टिक वस्तुओं को जैसे कि प्लेटों, कपों, गिलासों, चम्मचों, कॉंटों तथा स्ट्रा को जनसाधारण स्थानों पर जैसे कि पार्कों, खेलकूद के मैदानों, मनोरंजन स्थलों, पर्यटक केन्द्रों, धार्मिक स्थानों इत्यादि पर बिखेरना अनुज्ञात नहीं होगा ।

2. विहित प्राधिकारी:—

(क) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्लास्टिक के विनिर्माण तथा दुबारा बनाने वाले प्लास्टिक अर्थात् उपरोक्त 1 (क), (ग), (घ), (ड) तथा (च) से सम्बन्धित इन निर्देशों के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिए विहित प्राधिकारी होगा ।

(ख) सम्बद्ध नगर निगम/नगरपालिका का नगर आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपरोक्त (1) (क) तथा (ख) तथा (च) के विशेष संदर्भ सहित प्लास्टिक कैरी बैगों तथा डिब्बों के प्रयोग, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन तथा निपटान के लिए इन निर्देशों के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिए विहित प्राधिकारी होगा ।

(ग) वन मण्डल अधिकारी हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य इत्यादि में इन निर्देशों के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिए विहित प्राधिकारी होगा ।

(घ) आगे निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में इन निर्देशों के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिए विहित प्राधिकारी भी बनाया जाता है:—

जिला मजिस्ट्रेट ,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी,

उप-मण्डल मजिस्ट्रेट,

नगर मजिस्ट्रेट,

कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य, अभियन्ता विभाग,

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक,

जिला नगर योजनाकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग,

सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण,

तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग, खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी

वैज्ञानिक - ख, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,

सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,

कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगर परिषद्/समिति ।

3. स्वतः विनियम

(क) उपरोक्त पैरा 1 तथा 2 में अंतर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्लास्टिक उद्योग संघ अपनी सदस्य इकाइयों के माध्यम से स्वतः विनियमन उपायों के लिए वचनबद्ध होगा ।

(ख) धार्मिक पूजा स्थलों, स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों, होटलों/रेस्तरां, शिक्षण संस्थानों तथा अन्य सम्बन्धित एजेन्सियां कैरी बैगों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध का दृढ़ता से कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगी।

(ग) नगर निगम तथा अन्य सम्बन्धित अभिकरण, प्लास्टिक कैरी बेगों के प्रयोग के प्रभावों तथा सार्वजनिक स्थलों पर बिखेरना जिससे पर्यावरण तथा मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा इन नियमों के दाण्डित उपबन्धों का सिनेमा प्रदर्शन, स्लाइडस, इैल्क्ट्रोनिक/प्रिंट मीडिया इत्यादि के माध्यम से विस्तृत प्रचार सृजित करने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करेंगे।

4. शास्तियों का उद्ग्रहण

निम्नलिखित शास्तियां विहित प्राधिकारी द्वारा उद्गृहित की जाएंगी :—

(क) विनिर्माण ईकाइयां जो इन निर्देशों का उल्लंघन करते पाई जाती है, ऐसे जुर्माने से दण्डित होंगी जो 25000/- रुपए तक होगा तथा जो प्रथम अपराध के लिए 50,000 रुपए तक बढाया जा सकता है तथा पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए इकाई की अनुज्ञप्ति/सहमति विनिर्माण के लिए प्रयुक्त मशीनरी/सामग्री को जब्त करने के अतिरिक्त रद्द कर दी जाएगी ।

(ख) इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले परचूनियों, विक्रेताओं तथा अन्य स्थापनाओं को ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो 2500/- रुपए तक होगा तथा जो प्रथम अपराध के लिए 5000/- रुपए तक बढ़ाया जा सकता है तथा पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए उल्लंघनकर्ता की व्यापार अनुज्ञप्ति नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित नगरपालिका विधि तथा दुकानात तथा स्थापना अधिनियम के अधीन रद्द कर दी जाएगी ।

(ग) सार्वजनिक स्थलों पर कप, प्लेट, गिलास, प्लास्टिक कैरी बैग का प्रयोग तथा प्लास्टिक कैरी बैग या वस्तुऐं जैसे कि कप, प्लेट, गिलास, बिखेरते हुए पाए जाने वाले व्यक्ति को जुर्माना लगाया जाएगा जो कम से कम 250/- रुपए होगा तथा जो प्रति अपराध 500/- रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

पी० राघवेन्द्र राव,
वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग।

47893—C.S.—H.G.P., Chd.